भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 278
(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

केरल में पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत लंबित कार्य

278. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केरल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-III (पीएमजीएसवाई-III) के अंतर्गत स्वीकृत कई कार्य भुगतान में देरी या ईएमएआरजी प्रणाली में पैकेज लॉकिंग संबंधी समस्याओं के कारण अभी भी लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लंबित पैकेजों की कुल संख्या कितनी है और तथा ईएमएआरजी में "विविध परिवर्धन" सुविधा का अभाव जैसी तकनीकी सीमाएँ और डेटा सुधार के लिए ओएमएमएस को भेजे गए पैकेजों को अनलॉक करने में अत्यधिक विलंब सहित देरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केरल में पीएमजीएसवाई का नया चरण, जिसे आमतौर पर पीएमजीएसवाई-IV कहा जाता है, शुरू हो गया और क्या इस चरण के अंतर्गत नए सड़क प्रस्तावों को शामिल करने की कोई गुंजाइश है;

(घ) यदि नहीं, तो राज्य में पीएमजीएसवाई-IV के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है, और इसमें चिन्हित, स्वीकृत और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए लंबित कार्यों की संख्या कितनी है ; और

(ङ) क्या सरकार का पीएमजीएसवाई-III और पीएमजीएसवाई-IV दोनों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए समय-सीमा बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-III के अंतर्गत, केरल राज्य के लिए 1421.06 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई है , जिसमें से 18.07.2025 तक 732.45 किलोमीटर सड़क का कार्य पूरा हो चुका है। जारी पीएमजीएसवाई-III कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा मार्च, 2026 है।

जब भी कोई सड़क कार्य पूरा हो जाता है और उसका ब्यौरा पीएमजीएसवाई एमआईएस अर्थात ओएमएमएएस (ऑनलाइन निगरानी, रखरखाव और लेखांकन प्रणाली) में दर्ज हो जाता है , तो अगली तिथि से नियमित रखरखाव शुरू हो जाता है। सड़क कार्य के पूरे हो चुके पैकेज ओएमएमएएस से एक आईटी एप्लिकेशन, अर्थात ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (ई-मार्ग) पर डाल दिए जाते हैं। पैकेज के सभी ब्यौरे की पुष्टि के बाद , राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एसआरआरडीए) द्वारा इस पैकेज को ई-मार्ग में लॉक कर दिया जाता है। सड़क कार्य को ई-मार्ग में भेजने से पहले किया गया कोई भी मैन्युअल व्यय एसआरआरडीए द्वारा दर्ज किया जाता है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही, ठेकेदार द्वारा जारी किए गए बिलों के सत्यापन के लिए क्षेत्रीय इंजीनियरों द्वारा सड़क का निरीक्षण किया जा सकता है।

दिनांक 14 जुलाई, 2025 तक, केरल राज्य द्वारा 351.64 किलोमीटर लंबाई की 78 सड़कों को ई-मार्ग में लॉक कर दिया गया है। ये सड़कें नियमित निरीक्षण के लिए पात्र हैं। पैकेजों की पुशिंग , लॉकिंग, मैन्युअल व्यय आदि का कार्य एसआरआरडीए के अधिकारी ई-मार्ग और ओएमएमएएस का उपयोग करके करते हैं। राज्य ने सूचित किया है कि 17 जुलाई, 2025 तक लॉकिंग के लिए कोई सड़क लंबित नहीं है।

राज्य ने यह भी सूचित किया है कि ई-मार्ग पर डालने में देरी और ठेकेदारों द्वारा बिल जमा करने में देरी जैसे कारणों से कुछ बिलों का भुगतान नहीं किया जा सका। बिल द्विमासिक रूप से अर्थात साल में 6 बिल बनाए जाते हैं। ठेकेदार द्वारा जमा किए गए किसी भी बिल का निर्धारित समय -सीमा के भीतर फील्ड इंजीनियर द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। केरल राज्य से अनुरोध किया गया है कि वह फील्ड इंजीनियरों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर नियमित निरीक्षण और परिणामी प्रदर्शन मूल्यांकन करने का निर्देश दे।

"विविध परिवरर्धन " सुविधा वैध कारणों से रखरखाव भुगतानों में मामूली समायोजन के लिए थी; हालाँकि, यह देखा गया कि इसका उपयोग रखरखाव बिलों से अलग बड़े भुगतानों के लिए किया गया था , इसलिए इसे वापस ले लिया गया। इससे रखरखाव बिलों के नियमित प्रस्तुतीकरण और ई-मार्ग पर समय पर सत्यापन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती ।

आज तक कोई भी पीएमजीएसवाई सड़क ओएमएमएएस डेटा सुधार के लिए लंबित नहीं है।

(ग) और (घ): सरकार ने 11 सितंबर 2024 को पीएमजीएसवाई के चरण IV को अनुमोदन प्रदान किया है ताकि 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी इलाकों में 500+, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 250+, विशेष श्रेणी के क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची V, आकांक्षी

जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) में 250+ और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों (9 राज्यों में गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित) में 100+ आबादी वाली सड़कों से नहीं जुड़ी 25,000 बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान किया जा सके। वर्ष 2024-25 से 2028-29 की अवधि के दौरान ₹ 70,125 करोड़ की लागत से कुल 62,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना प्रस्तावित है।

पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत, केरल सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र बस्तियों की पहचान कर रहे हैं। केंद्र सरकार इस कार्यक्रम के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने में सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य के साथ मिलकर काम कर रही है।

(ड.): पीएमजीएसवाई-III के पूरा होने की मूल समय -सीमा मार्च 2025 निर्धारित की गई थी। हालाँकि, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर , सरकार ने जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय -सीमा को मार्च 2026 तक बढ़ाने का अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अलावा, पीएमजीएसवाई-IV, जिसे सितंबर 2024 में अनुमोदन प्रदान किया गया था, को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जाना है।

****